प्रेषक,

संख्या:7/548/12-5-2014-31/2014

वेदप्रकाश सिंह राजपूत,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ ।

कृषि अनुभाग-5 : लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर , 2014

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-11 के आयोजनेत्तर पक्ष में रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ को व्यय वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी.ए.(1)296/ वित्तीय स्वीकृति 2014-15, दिनांक 14 जुलाई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये अनुदान संख्या-11 के आयोजनेत्तर पक्ष में रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ को आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शेष अवधि (अगस्त, 14 से मार्च, 15 तक) में व्यय वहन हेतु निम्नानुसार धनराशि रू0-6204 हजार मात्र की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक	प्राविधान 2014-15	लेखा अनुदान की अवधि (अप्रैल, 14 से जुलाई, 14) की स्वीकृत	शेष अवधि (अगस्त,14 से मार्च,15) हेतु स्वीकृति धनराशि ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		धनराशि	
2401- फसल कृषि कर्म आयोजनेत्तर - 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 04-रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान-			
31-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	9306	3102	6204
योग-	9306	3102	6204

(रूपये बासठ लाख चार हजार मात्र)

2- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे का तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस सबंध में वित्त (लेखा) अनुदान-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17.01.79, में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में अनुलग्नित नियमावली भी परिपालन किया जायेगा ।

3- उक्त अनुदान की धनराशि का देयक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा । इस देयक पर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा । निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को सूचित करेंगे ।

4- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण फेंजिग के आधार पर सुनिश्चित की जाये । जहॉ तक संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाये ।

5- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-109-

http://shasanadesh.up.nic.in

विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -04-रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-628/दस-2014, दिनांक 17-10-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय

(वेदप्रकाश सिंह राजपूत)
अनु सचिव ।

संख्या- 548(1)/12-5-2014 , तददिनांक 20.10.2014 ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
2- निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेडा , लखनऊ ।
3- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
5- वित्त नियंत्रक , कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय -नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (वित्त-आय) अनुभाग-1
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश , जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- अनुभाग अधिकारी ,कृषि अनुभाग-3 ।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(वेदप्रकाश सिंह राजपूत)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in